

-: न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन (म०प्र०) :-
विविध आदेश

कमांक- ...161...../2024


उज्जैन, दिनांक : 13/02/2024

आपराधिक कार्य विभाजन आदेश कमांक-15/2024, उज्जैन दिनांक 06/01/2024 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री वीरेन्द्र जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन एवं श्री वीरेन्द्र वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन के न्यायालय रिक्त होने से माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, उज्जैन द्वारा दूरभाष पर दिये मौखिक आदेशानुसार अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक निम्नलिखित आरक्षी केन्द्रों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार रहेगा :-

कमांक	ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित प्रकरण एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर, निम्नलिखित आरक्षी केन्द्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार कॉलम नंबर-3 में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेट को रहेगा।	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम
1	2	3
1-	पुलिस थाना महाकाल	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन
2-	पुलिस थाना जी०आर०पी०	श्री विनायक गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन
3-	पुलिस थाना चिमनगंज मण्डी	श्री कुशाग्र अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन
4-	पुलिस थाना नीलगंगा	श्री सीताराम दास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन

नोट :-पुलिस थाना महाकाल के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद प्रकरण एवं धारा 156 (3) द०प्र०सं० से संबंधित कार्यवाहियों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्री अर्पित जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन को रहेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से **आज दिनांक-13/02/2024** से ही प्रभावशील होगा।



(राजेन्द्र सिंह सिंगार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (म०प्र०)

प्रतिलिपि :-

पृष्ठांकन क्रमांक- 161/2024

उज्जैन, दिनांक- 13/02/2024

- 1- माननीय उच्च न्यायालय म0 प्र0 जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक डी/3175/तीन-10-48 /98 जबलपुर दिनांक 09-सितम्बर-2009 के पालन मे सादर प्रेषित।
- 2- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 3- माननीय श्री/श्रीमतीसमस्त..... अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन/खाचरौद/नागदा/महिदपुर/तराना एवं बड़नगर की ओर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 4- श्री/श्रीमती/कु.समस्त..... ए.सी.जे.एम. /जे.एम.एफ.सी.उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/महिदपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 5- अध्यक्ष अभिभाषक संघ उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/महिदपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- जिला अभियोजन अधिकारी उज्जैन की ओर इस निर्देश के साथ कि जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करें।
- 7- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण जिला उज्जैन को ई.मेल द्वारा सूचित करने हेतु एवं जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सिस्टम आफिसर जिला न्यायालय उज्जैन को प्रेषित।


(राजेश सिंह सिंगार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (म0प्र0)